राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/मा.शि. कक्षा–कक्ष स्कूल/17–18/36051-64 दिनांक : 05.10.2018

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
डॉ. राधा कृष्णन् शिक्षा संकुल,
ब्लॉक–6 जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।

विषय : राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रतापगढ के महल नवीन परिसर में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण एवं पुराने भवन की मरम्मत कार्यकी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 28051–61 दिनांक 01.08.2018 द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रतापगढ के महल नवीन परिसर के पुराना भाग की रिपेयर एवं नवीन अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण हेतु राशि रू. 40.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, को नियुक्त किया गया।

कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से तकनीकी स्वीकृति (SE RCSCE Jaipur/2687/27.08.2018) प्राप्त होने पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय,प्रतापगढ के महल नवीन परिसर में **नवीन 4 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष** निर्माण **हेतु 37.88 लाख** एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय,प्रतापगढ के महल नवीन परिसर के पुराना भाग की रिपेयर **कार्य हेतु राशि रू. 2.06 लाख** कुल **राशि रू. 39.94 लाख की** संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

उपरोक्त कार्यो हेतु राशि का व्यय विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत इस कार्याल्य के पत्र क्रमांक 14616–30 दिनांक 24.05.2017 द्वारा जारी 40 कार्यो की वित्तीय स्वीकृति के विरूद्व हस्तांतरित की गई राशि रू. 2140.13 लाख मे से निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जाये –

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. **यदि कमरे के निर्माण हेतु स्वीकृत विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय मे विलय प्रस्तावित हो व कमरो की आवश्यकता नही हो तो इस विभाग को सूचित** किया जावे।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जावें। **आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य करवाया जावें।**
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।
5. स्वीकृत कार्यो का प्रचलित गाईड लाईन अनुसार समय–समय पर third party inspection करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने पर फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।
7. कार्य पूर्णता पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा)I.A.S
आयुक्त

कृ.पृ.उ.

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/मा.शि. कक्षा–कक्ष स्कूल/17–18/36051-64 दिनांक : 05.10.18

प्रतिलिपि–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, प्रतापगढ ।
4. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ।
5. अतिरिक्त निदेशक,राजस्थान राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, डॉ. राधा कृष्णन शिक्षा संकुल ब्लॉक–6 जवाहरलाल नेहरू मार्ग ओटीएस पुलिया के सामने राजस्थान जयपुर ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद प्रतापगढ।
7. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, उदयपुर/प्रतापगढ को संभाग के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
8. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा
9. निदेशक मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
10. ~~कम्प्यूटर~~ शाखा कार्यालय हाजा।
11. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, (महल नवीन परिसर),प्रतापगढ।
12. गार्ड पत्रावली।

आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @gmail.com,Website www.tad.rajasthan.gov.in

(13)